बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

संचिका संख्या – 15/औ0–15–12/2008 ..../स्वा0, पटना, दिनांक – ....

श्री शंभुनाथ ठाकुर, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना–4 सम्प्रति औषधि निरीक्षक समस्तीपुर–3 एवं श्री प्रदीप कुमार, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना–1 सम्प्रती औषधि निरीक्षक पश्चिम चम्पारण–4 (नरकटीयागंज अनुमंडल) के विरूद्ध प्राप्त आरोपो के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–430(15) दिनांक–07.03.2008 द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया। सरकार द्वारा पूरे प्रकरण की पुनः समीक्षा की गई, सम्यक समीक्षोपरांत सरकार द्वारा उपर्युक्त दोनों औषधि निरीक्षको को विभागीय अधिसूचना संख्या–1781(15) दिनांक–22.08.2008 द्वारा निलम्बन मुक्त कर दिया गया एवं निलम्बन अवधि के वेतनादि भुगतान के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही चलाये जाने के उपरान्त इसके फलाफल के आधार पर निर्णय संसूचित करने का निर्णय लिया गया।

विभागीय संकल्प संख्या–770(15) दिनांक–22.05.2009 के द्वारा उक्त दोनो औषधि निरीक्षक के विरूद्ध आरोप गठित कर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी। संचालन पदाधिकारी का अन्यत्र स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप संशोधित संकल्प संख्या–2537(15) दिनांक– 09.12.2009 के द्वारा उक्त दोनों औषधि निरीक्षक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप को अपने अधिगम में प्रमाणित नहीं होता है, का मंतव्य दिया गया है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम के समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री शंभुनाथ ठाकुर तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना–4 सम्प्रति औषधि निरीक्षक, समस्तीपुर–3 एवं श्री प्रदीप कुमार, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना–1 सम्प्रति औषधि निरीक्षक, पश्चिमी चम्पारण–4 (नरकटियागंज अनुमंडल) के विरूद्ध गठित आरोप से मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को निष्पादित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(राम ईश्वर)
सरकार के संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 15/औ0–15–12/2008 ..../स्वा0, पटना, दिनांक – ....
प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार के ई–गजट शाखा को ई–गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 15/औ0–15–12/2008 ..../स्वा0, पटना, दिनांक – ....
प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 15/औ0–15–12/2008 ..../स्वा0, पटना, दिनांक – ....
प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार/सहायक औषधि नियंत्रक, पश्चिम चम्पारण एवं समस्तीपुर/प्रभारी पदाधिकारी, संयुक्त खाद्य एव औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना/जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/जिला कोषागार, पश्चिम चम्पारण एवं समस्तीपुर/सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण एवं समस्तीपुर/श्री शंभुनाथ ठाकुर, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना–4 सम्प्रति औषधि निरीक्षक, समस्तीपुर–3 एवं श्री प्रदीप कुमार, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, पटना–1 सम्प्रति औषधि निरीक्षक, पश्चिम चम्पारण–4(नरकटियागंज अनुमंडल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 15/औ0–15–12/2008 435(15)/स्वा0, पटना, दिनांक – 28/5/18
प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/5/18
सरकार के संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।